संख्या–413/नौ–9–2014–101ज/09

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनॉक 23 अप्रैल, 2015

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अर्न्तगत "अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवायें" हेतु वर्ष 2012–13 के लिये संस्तुत अनुदान की धनराशि रू0 5.00 करोड़ की स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय सलाहकार, वित्त संसाधन (केन्द्रीय वित्त आयोग) अनुभाग के पत्र दिनांक 21.04.15 एवं उसके साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.03.15 (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी शहर में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 मे अग्निशमन हेतु इक्यूपमेन्ट/वाहनों का क्रय की कार्योजना के लिये भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि **रू0 5,00,00,000/– (रूपये पांच करोड मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित शर्तो के अधीन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को उक्त धनराशि अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि 13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नियमानुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ को आवंटित की जायेगी।
2. स्वीकृत अनुदान का उपयोग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–एफ.11(9)एफसीडी/2010,दिनॉक 26.04.2011 की गाइडलाइन्स के अनुसार ही किया जायेगा।
3. वाहन/उपकरणों का क्रय डी.जी.एण्ड एस.एन.डी. के अनुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जनपद कोषागार से किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए जिलाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

5. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से एक मुश्त आहरण कर फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक,जवाहर भवन,लखनऊ में खोले गये संयुक्त खाता संख्या–33492617777 (आईएफएससी सं0–06144) में रखा जाय। उक्त के अतिरिक्त किसी बैंक/डाकघर/पीएलए व डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा।

6. धनराशि के आहरण की सूचना,बाचर संख्या एवं दिनांक सहित, का रखरखाव फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा किया जायेगा जिसकी सूचना निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0 एवं नगर विकास विभाग,उ0प्र0शासन को फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा प्रेषित किया जायेगा तथा निदेशक,स्थानीय निकाय/नगर विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7. टेण्डर की कार्यवाही कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो हेतु ही नियमानुसार की जायेगी।

8. इस अनुदान के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार संबंधित निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 एवं कार्यदायी इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

9. 13 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत लिए जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जायेगे। लेखों का रख रखाव तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2005 के अनुसार उपलब्ध कराया जायेगा। तत्संबंधी प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा शीध्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित कार्य योजना पर उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति का अनुमोदन प्राप्त है। इसलिए कार्य योजना में उल्लिखित कार्यो के अतिरिक्त किसी भी दशा में अन्य कार्य नहीं कराये जायेगे। परियोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना भी सुनिश्चित किया जाय।

11. स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रुप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व, निकाय/कार्यदायी संस्था तथा पुलिस महानिदेशक,फायर सर्विस,उत्तर प्रदेश का दायित्व अग्निशमन उपकरणों के क्रय/ निर्माण का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–**37** के राजस्व लेखे के आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक "2217– शहरी विकास–05 –अन्य शहरी विकास योजनाएं–191–नगर निगमों को सहायता–05–तेरहवें वित्त

आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन– 0501–वाराणसी की अवसंरचना का सुधार–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2/2015/बी–1–925/दस–2015 –231/2015,दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 413 (1)/नौ–9–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उ0प्र0, इलाहाबाद/प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी,उ0प्र0,इलाहाबाद ।
. कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,वाराणसी।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
4. नगर आयुक्त,नगर निगम,वाराणसी।
5. अपर पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0फायर सर्विस मुख्यालय,लखनऊ।
6. वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8
7. वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/2
   वित्त संसाधन(वित्त आयोग)अनुभाग/वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता)अनुभाग।
8. गार्ड फाइल ।
9 बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।